

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/खेल सुविधा निर्माण/17-18/

दिनांक :

उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर।

विषय : महाराणा प्रताप खेल गांव में तीरंदाजी रेंज में शेड निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना उदयपुर का पत्रांक एफ-( )/निर्माण/निदेशक/स्वच्छ/2020-21/829 दिनांक 04.06.2021।

विभागीय पत्रांक 25271-79 दिनांक 21.10.2020 द्वारा महाराणा प्रताप खेल गांव में तीरंदाजी रेंज में शेड निर्माण कार्य पं.स. बडगांव जिला उदयपुर की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 15.10 लाख जारी की गई एवं कार्य की कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से कार्य का ड्राईंग, तकमीना व तकनीकी रिपोर्ट मय तकनीकी स्वीकृति (APO/SWACH/UDAIPUR/180/26.03.2021) प्राप्त होने से महाराणा प्रताप खेल गांव में तीरंदाजी रेंज में शेड निर्माण कार्य पं.स. बडगांव जिला उदयपुर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 15.76 लाख की जारी की जाती है।

S.N.	Name of work	Amount (Rs In Lacs)
1	Construction of Shed for Archery at Khelgaon, Udaipur	14.93
	<b>Total</b>	<b>14.93</b>
	Add 1.25 % Contingency Charges	0.18
	<b>Sub Total</b>	<b>15.11</b>
	Add 4 % Establishment Charges	0.61
	<b>Total</b>	<b>15.72</b>
	0.25% Contingency Charges for monitering TAD	0.04
	<b>Grand Total</b>	<b>15.76</b>

उपरोक्त कार्य पर राशि रु. 15.76 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-45/2017-18 द्वारा खेल सुविधाओं का विकास एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

शर्तें-

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। कार्य का सम्पादन गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
4. स्वीकृत कार्यों का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य के गुणवत्ता पूर्वक कराने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति जारी कर्ता की होगी।

6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व फोटोग्राफ प्रस्तुत करे। प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित करावे।

sd  
(प्रज्ञा केवलरमानी)I.A.S  
आयुक्त

एफ 5/अभि./सीटीएडी/275(1)/खेल सुविधा निर्माण/17-18/16626-36दिनांक 30/6/21  
प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. निजी सचिव, माननीय.मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर।
5. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना उदयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-45/2017-18 द्वारा खेल सुविधाओ का विकास एवं नवीनीकरण हेतु प्राप्त राशि में से स्वीकृत लागत राशि रूपये 15.76 लाख में से देय राशि रू. 15.72 लाख की 80 प्रतिशत राशि 12.58 लाख निदेशक स्वच्छ परियोजना उदयपुर को हस्तांतरित करावें। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है। कन्टीन्जेन्सी राशि 1.50% (0.22 लाख) में से 0.25% (0.04 लाख) की 80 प्रतिशत राशि रू. 0.032 लाख मोनिटरिंग कार्य हेतु टीएडी में रखी जावे।
7. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. खेल अधिकारी, कार्यालय महाराणा प्रताप खेलगांव, खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चित्रकूट नगर, खेलगांव, भुवाणा उदयपुर।
9. गार्ड फाईल।

20  
अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)